संख्या-68/2015/902/78-2-2015-37आई.टी./2015

प्रेषक,

जी0 एस0 प्रियदर्शी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव/सचिव,
   वित्त/न्याय/नियोजन/राजस्व/पंचायतीराज एवं ग्राम्य विकास विभाग,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी,
   एन.आई.सी., लखनऊ।

आई.टी. एवं इले. अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 18 जून, 2015

विषय:- प्रदेश के समस्त लेखपालों, ग्राम विकास अधिकारियों एवं ग्राम पंचायत अधिकारियों को टैबलेट/लैपटॉप उपलब्ध कराए जाने हेतु उनकी विशिष्टियों/स्पेसिफिकेशन्स के निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के विकास एजेण्डा सूत्र संख्या-147 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग को प्रदेश के समस्त लेखपालों, ग्राम विकास अधिकारियों एवं ग्राम पंचायत अधिकारियों को ई डिस्ट्रिक्ट योजनान्तर्गत टैबलेट दिए जाने की गाइडलाइन्स का निष्पादन किया जाना है।

2. उल्लेखनीय है कि इस गाइडलाइन्स एवं स्पेशीफिकेशन को बनाने हेतु आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा एक समिति कार्यालय ज्ञाप संख्या-682/78-2-2015-37आई.टी./2015 दिनांक 29 मई, 2015 द्वारा बनाई गई थी, (छायाप्रति संलग्न) जिसमें आपके विभाग के संबंधित अधिकारी भी सदस्य थे, इस समिति ने अब अपनी आख्या प्रस्तुत कर दी है।

3. इस संबंध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त विषयक प्रस्तावित गाइडलाइन्स एवं स्पेशीफिकेशन तैयार कर आपको इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि उक्त गाइड लाइन्स एवं स्पेशीफिकेशन पर अपने विभाग का अभिमत एक सप्ताह में आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इस संबंध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के स्तर पर शीघ्र ही बैठक कराई जानी है।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(जी0 एस0 प्रियदर्शी)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्याः 68/2015/902(1)/78-2-2015 तददिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी को उनके पत्र संख्या-यूपीएलसी:लैपटॉप/टैबलेट/7085 दिनांक 15 जून, 2015 के संदर्भ में।
2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महेन्द प्रसाद भारती)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।